

बिहार राज्य सहयोग कय-विकय संघ सीमित, पटना।

(विस्कोमान)

आदेश

श्री ललत कुमार जहाज मंडार प्रबंधक जब
अधिप्राप्त-केन्द्र (तरुटिजांग) (के.वि.आ.) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब जुख्यालय
आदेशों तथा-ज्ञापांक-के0ले0/बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.
2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹ 16,60,820.00 की
अवैध निकसी करने एवं वित्तीय अभियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से निलम्बित
किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय वरीय क्षेत्रीय पद का निदेश, विस्कोमान,
के.वि.आ.
निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

- ज्ञापांक- 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 दिनांक- 6-1-2014
- प्रतिलिपि:-
1. श्री ललत कुमार जहाज मंडार प्रबंधक को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंप देंगे।
 2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, विस्कोमान को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार अपने अधीनस्थ कार्मिक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
 3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), विस्कोमान, पटना को सूचना।
 4. सभी पदाधिकारी, विस्कोमान, पटना को सूचना।
 5. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एन0 डाटा ऑपरेटर को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ।
 6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, विस्कोमान, पटना को सूचना प्रेषित।

सचिव